

**अंतिम डिक्ली व मुकदमे इत्दादाई
(आर्डर 21 संख्या 8-7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 218/2024

वादीगण-

1. सहिराम गोदारा पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी काशीपुरा तहसील जायल, नागौर।

प्रतिवादीगण -

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र बालू राम
2. हनुमानराम पुत्र जेना राम
3. अणदा राम पुत्र दुला राम
4. बलदेव राम पुत्र अणदाराम
5. जयनारायण उर्फ जेना राम पुत्र टीकूराम
6. बालूराम पुत्र टिकूराम
7. भंवरी पुत्री दुलाराम
8. गीता पुत्री दुलाराम
9. धापू देवी पुत्री दुलाराम
10. रामनारायण पुत्र रूपादेवी पुत्री दुलाराम
11. लीला पुत्री रूपादेवी पुत्री दुलाराम
12. सुमन पुत्री अणदाराम जातियान जाट निवासीगण काशीपुरा तहसील जायल।
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल।



उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्द राम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा।
3. प्रतिवादी संख्या 13 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्ली आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिव मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 13 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिव मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि- मौजा काशीपुरा में खाता 44 व 64 के खेत खसरा नंबर 1345 रकबा 1.5540 हैक्टैयर, खेत खसरा नंबर 1346 रकबा 7.9480 हैक्टैयर, खेत खसरा नंबर 1348 रकबा 3.5855 हैक्टैयर, खेत खसरा नंबर 1349 रकबा 0.1052 हैक्टैयर गैर मुमकिन ढाणी, खेत खसरा नंबर 1351 रकबा 0.1133 हैक्टैयर, खेत खसरा नंबर 1359 रकबा 4.5325 हैक्टैयर, खेत खसरा नंबर 1362 रकबा 8.1908 हैक्टैयर में पक्षकारान् को सहखातेदार घोषित किया जाकर मुतदाविया भूमि बंटवाड़ा/विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के मध्य माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य सबूत

**सहायक कलेक्टर
(स.डी.ओ.) जायल**

एवं राजीनामा एवं ईकबालिया जबाब अनुसार के अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी सहीराम गोदारा के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा काशीपुरा का खेत खसरा नंबर 1345 रकबा 1.5540 हैक्टेयर पूरा, खेत खसरा नंबर 1362 रकबा 8.1908 हैक्टेयर में से 4.0954 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा काशीपुरा का खेत खसरा नंबर 1346 रकबा 7.9480 हैक्टेयर में से 2.9137 हैक्टेयर मध्य भाग माफिक नजरीनकशानुसार, खसरा नंबर 1348 रकबा 3.5855 हैक्टेयर में से 0.3237 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 हनुमान राम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा काशीपुरा का खेत खसरा नंबर 1346 रकबा 7.9480 हैक्टेयर में से 1.9586 हैक्टेयर उत्तरी भाग माफिक नजरीनकशानुसार, खसरा नंबर 1348 रकबा 3.5855 हैक्टेयर में से 0.7608 हैक्टेयर (अ स्थान पर) माफिक नजरीनकशानुसार, इसी खसरे खसरा नंबर 1348 रकबा 3.5855 हैक्टेयर में से 0.5341 हैक्टेयर (ब स्थान पर) माफिक नजरीनकशानुसार तथा खेत खसरा नंबर 1351 रकबा 0.1133 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 अणदा राम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा काशीपुरा का खेत खसरा नंबर 1359 रकबा 4.5325 हैक्टेयर में से 4.4192 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार, खसरा नंबर 1348 रकबा 3.5855 हैक्टेयर में से 0.5018 हैक्टेयर (अ स्थान पर) माफिक नजरीनकशानुसार, इसी खसरे खसरा नंबर 1348 रकबा 3.5855 हैक्टेयर में से 0.099 हैक्टेयर (ब स्थान पर) माफिक नजरीनकशानुसार तथा इसी खसरे खसरा नंबर 1348 रकबा 3.5855 हैक्टेयर में से 1.2211 हैक्टेयर (स स्थान पर) माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या 4 बलदेव राम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा काशीपुरा का खेत खसरा नंबर 1346 रकबा 7.9480 हैक्टेयर में से रकबा 3.0757 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनकशानुसार तथा खेत खसरा नंबर 1362 रकबा 8.1908 हैक्टेयर में से 4.0954 हैक्टेयर पूर्वी दिशा की तरफ माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1,2,3 कमश भंवरलाल, हनुमानराम, अणदाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा काशीपुरा का खेत खसरा नंबर 1359 रकबा 4.5325 हैक्टेयर में से 0.1133 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनकशानुसार, एवं खेत खसरा नंबर 1348 रकबा 3.5855 हैक्टेयर में से 0.0970 हैक्टेयर मार्क ए से बी माफिक नजरीनकशानुसार, खेत खसरा नंबर 1348 रकबा 3.5855 हैक्टेयर में से 0.0480 हैक्टेयर मार्क सी से डी माफिक नजरीनकशानुसार तथा खेत खसरा नंबर 1349 रकबा 0.1052 हैक्टेयर गैर मुमकिन ढाणी व खसरा नंबर 1350 रकबा 0.1781 हैक्टेयर गैर मुमकिन ढाणी रखी जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
6. प्रतिवादी संख्या 5 से 12 कमश जयनारायण उर्फ जेना राम, बालूराम, भंवरी, गीता, धापूदेवी, रामनारायण, सूमन, के नाम मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। अतः प्रतिवादी संख्या 5 से 12 का राज हक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा किये जाने पर ही राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद हो।

सहायक कलक्टर
(डी.ओ.) जयल

7. बैंक के रहन खसरान् बैंक के रहन यथावत रहेंगे तथा संबंधित बैंक को सूचित हो। रहन होने की स्थिति में।

8. वाद में नजरीनकशा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 24.12.24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)

सहायक कलेक्टर एवं उपमुख्य अधिकारी

जायल (बी.पी.ओ.)

बाबत्

अंतिम डिक्री व मु तीज - मुबलिग -

के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें।
बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराय ह वमनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(अभिलाषा)

सहायक कलेक्टर एवं उपमुख्य अधिकारी

सहायक कलेक्टर (बी.पी.ओ.)